सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1935 शकाब्द

संख्या 244

राँची, मंगलवार 16 अप्रैल, 2013

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
15 अप्रैल, 2013

संख्या–एल0जी0–26/2011–09/लेज0, झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 6 अप्रैल, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011

वित्तीय स्थापनाओं में जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण एवं उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 62 वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) यह अधिनियम झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम 2011 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ : जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(1) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा–5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी,

(2) "अभिहित न्यायालय" से अभिप्रेत है धारा–7 के अधीन अधिसूचित अभिहित न्यायालय,

(3) "जमा": –विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में सूद, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी फायदा के साथ या फायदा रहित वापसी के इरादे से किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण, जमा में शामिल होगा और सदा से शामिल समझा जायेगा किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगा –

(i) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित "सेबी" द्वारा दिये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं बनाए गए विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूँजी या डिबेंचर, बॉण्ड या किसी अन्य लिखित रूप में उगाही गयी राशि :

(ii) किसी फर्म के भागीदारों के द्वारा पूँजी के रूप में अभिदत्त राशि;

(iii) अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा–5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त राशि;

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई राशि :–

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,

(ख) राज्य वित्तीय निगम,

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 की धारा–6 क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था;

(v) कारोबार के सामान्य क्रम में निम्नलिखित रूप में प्राप्त राशि –

(क) प्रतिभूति जमा,

(ख) व्यवहारी जमा,

(ग) अग्रिम धन,

(घ) माल या सेवा के लिए दिए गए आदेश के विरूद्ध अग्रिम;

(vi) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या व्यष्टि–संगम, जो निगमित निकाय नहीं है, से प्राप्त कोई राशि; और

(vii) चिट की बावत अभिदान के रूप में प्राप्त कोई राशि ।

स्पष्टीकरण–I–चिट" से वही अभिप्रेत है जो चिट फंड अधिनियम 1982 की धारा–2 के खण्ड– 6 के अधीन नियत किया गया है ।

स्पष्टीकरण–II– किसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पति (चल या अचल) की बिक्री पर क्रेता को दिये गये किसी उधार को इस खण्ड के प्रयोजनार्थ जमा नहीं समझा जायेगा ।

(4) "वित्तीय स्थापना" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें व्यष्टि–संगम शामिल है,चाहे वह जिस रूप से कार्य परिचालन करते हों, फर्म या कम्पनी– जो किसी स्कीम या व्यवस्था के तहत् अथवा किसी अन्य प्रकार से जमा का प्रतिग्रहण करता है किन्तु इसमें राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा विनियमन अधिनियम 1949 की धारा–5 के खण्ड (ग) के अधीन यथापरिभाषित किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा स्वत्वाधिकृत या नियंत्रित निगम या सहकारी समिति शामिल नहीं है ।

(5) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(6) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विहित ।

3. वित्तीय स्थापनाओं द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम –

जब कोई वित्तीय स्थापना परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय सूद, बोनस या लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में फायदे सहित देने में व्यतिक्रम करती है या जमा के विरूद्ध आश्वासित सेवा मुहैया कराने में बेईमानी या कपट करती है, वैसी वित्तीय स्थापना के कारोबार या काम–काज के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी हर व्यक्ति, जिसमें संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या अन्य कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी शामिल है, सिद्धदोष होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास एवं एक लाख रुपये तक या जहाँ ऐसा व्यतिक्रम धन की निर्धारणीय रकम से संबंधित हो, वहाँ व्यतिक्रम की राशि की दूनी रकम, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडित किया जायेगा;

परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष एवं पर्याप्त कारणों के अभाव में तीन वर्षों के कारावास एवं पचास हजार रुपये से कम जुर्माने की सजा नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण – I :– इस धारा के प्रयोजनार्थ ऐसी वित्तीय स्थापना की जो सूद के रूप में फायदा के साथ किसी जमा, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गए वचन के रूप में प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करे अथवा ऐसी जमा के लिए सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा मुहैया कराने में

किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ एवं अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाती है अथवा जमा स्वीकार करने के समय की गई अव्यावहारिक या वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य वचन के फलस्वरूप अथवा जमा से अर्जित धन एवं आस्तियाँ के इस रीति से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो, उत्पन्न अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करती हो, विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम या विफलता समझी जायेगी ।

स्पष्टीकरण – II :–जब यह प्रश्न उठे कि किसी वित्तीय स्थापना ने इस धारा के अर्थान्तर्गत कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है या नहीं तब न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि उस वित्तीय स्थापना ने कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है ।

4. जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति की कुर्की–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी–

(i) जमाकर्त्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर जब सरकार को यह समाधान हो जाय कि कोई वित्तीय स्थापना निम्नलिखित को करने में विफल हो चुकी है–

(क) परिपक्वता के बाद जमाकर्त्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर जमा वापस करने; या

(ख) सूद या अन्य आश्वासित फायदा देने; या

(ग) ऐसी जमा के विरूद्ध वचनबद्ध सेवा देने ।

(ii) जहाँ सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना जमाकर्त्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के लिए हानिकर कार्य कर रही है, और यदि सरकार को यह समाधान हो जाये कि ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा जमा की वापसी या सूद का भुगतान या अन्य आश्वासित फायदे का भुगतान अथवा उन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली नहीं है जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया है,तो ऐसी वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं के हित की रक्षा के लिए, कारणों को अभिलिखित करने के बाद वह राजपत्र में प्रकाशन द्वारा ऐसे धन या अन्य सम्पति, जिसके संबंध में विश्वास हो कि उस वित्तीय स्थापना द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वित्तीय स्थापनाओं द्वारा संग्रहीत जमा से अर्जित किया है तो उसे अथवा यदि यह प्रकट होता है कि धन या सम्पति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या जमा के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उक्त वित्तीय स्थापना या संप्रवर्त्तक, निदेशक, भागीदार या

प्रबन्धक अथवा उक्त वित्तीय स्थापना के सदस्यों की उस सम्पति का,जिसे सरकार उपयुक्त समझे, कुर्क करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए एक आदेश निर्गत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर वित्तीय स्थापना एवं उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की सारी सम्पत्ति एवं आस्तियाँ तत्काल अभिहित न्यायालय के अगले आदेश तक सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेंगी ।

(3) किसी अन्य विधि में विशेष रूप में अन्यथा उपबंधित सिवाय, कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21, नियम 43, 43 क, 46, 47, 49, 50, 51, एवं 54 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की के लिए उपबन्धित रीति से की जायेगी ।

5. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्ति एवं कर्त्तव्य –

(1) धारा– 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते समय सरकार अपने किसी पदाधिकारी को, जो उपायुक्त से अन्यून पंक्ति का हो, धारा–4 के अधीन कुर्क वित्तीय स्थापना के धन एवं सम्पत्ति पर नियंत्रण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अविलम्ब ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो संबंधित वित्तीय स्थापना के सभी धन एवं आस्तियों को वस्तुगत कब्जे में लेने के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो तथा सक्षम पदाधिकारी को ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उपर्युक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक हों ।

(3) सक्षम प्राधिकारी उक्त आदेश के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अभिहित न्यायालय में उन आधारों का कथन करते हुए जिनपर सरकार ने धारा–4 के तहत आदेश निर्गत किया है और धन या अन्य सम्पत्ति जिसके संबंध में विश्वास किया गया है, कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, जिनके नाम पर या उससे सम्पत्ति के विनिहित किये जाने या अर्जित किये जाने का विश्वास अथवा धारा–4के अधीन कुर्क की गयी किसी अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे किसी आदेश के लिए, जो आवश्यक पाया जाय, के एक या अधिक शपथपत्रों के साथ आवेदन करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार की किसी अन्य विधि के अधीन, किसी वित्तीय स्थापना के किसी धन या सम्पत्ति से संबंधित किसी विवाद्यक या विषयवस्तु में न्याय–निर्णय करने के लिएसमरूप अधिनियमिति के अधीन गठित या शक्तियों से न्यस्त किसी अभिहित न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक फोरम/प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के, उस प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित, धन या

सम्पत्ति के संबंध में इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए भी आवेदन कर सकेगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित का हकदार होगा–

(i) किसी भी आरक्षी प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा करने और ऐसी अपेक्षा किये जाने पर आरक्षी प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को आवश्यक सहायता देना उनका कर्त्तव्य होगा;

(ii) सक्षम प्राधिकारी की हैसियत से प्राप्त धन का निपटाव करते समय किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में खाता खोलने एवं वसूल किये गये सभी धन जमा करने और बैंक खाते का परिचालन करने;

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति से,जिनका वित्तीय स्थापना के किसी धन या आस्तियों पर कब्जा या नियंत्रण होने का विश्वास हो, आवश्यक जानकारी देने अथवा ऐसी सम्पत्ति का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को देने की अपेक्षा करना और वह व्यक्ति कोई समय नष्ट किये बिना इस अपेक्षा का अनुपालन करेगा;

(iv) किसी विधि व्यवसायी या चार्टड एकाउन्टेंट या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना, जिनकी सेवाएँ वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जा में लेने या वसूली के लिए आवश्यक हो;

(v) वित्तीय स्थापना या उसके नियंत्रणाधीन किसी विक्रय प्रतिभूति या परक्राम्य लिखत का विक्रय, प्राप्ति, अंतरण, पृष्ठांकन, परक्रामण करना या अन्यथा व्यवहार करना और उसका समुचित निर्वहन करना;

(vi) सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से निजी व्यवस्था के द्वारा वित्तीय स्थापना का या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या अन्यथा वसूली करना;

(vii) अभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार बैंक खाते से भुगतान करना; और

(viii) वित्तीय स्थापना की सम्पत्ति की त्वरित वसूली के लिए आवश्यक सभी एवं प्रत्येक कार्य या कृत्य करना;

परन्तु अभिहित न्यायालय से सरकार द्वारा निर्गत कुर्की आदेश को आत्यंतिक किये जाने या धारा–8 के अधीन पुनरीक्षित कुर्की आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व चल सम्पत्तियों का विक्रय या अंतरण नहीं किया जाना चाहिए ।

(6) सक्षम प्राधिकारी, वसूले गये धन से जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने हेतु अनुमति के लिए अभिहित न्यायालय को समय–समय पर आवेदन देगा । ऐसा आवेदन देते समय, सक्षम

प्राधिकारी जमाकर्त्ताओं के दायित्व एवं अन्य दायित्वों का निर्धारण कर लेगा और वसूले गये या वसूलनीय धन के सम्पूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए,पर्याप्त धन नहीं होने की दशा में जमाकर्त्ताओं तथा अन्य लेनदारों को आंशिक भुगतान करने की अनुमतिके लिए अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा और अभिहित न्यायालय के आदेश के अनुसार धन संवितरित करेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ "वित्तीय स्थापना" अभिव्यक्ति में उक्त स्थापना के निदेशक, संप्रवर्त्तक, प्रबंधक या सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिनकी सम्पत्ति या आस्तियाँ धारा–3 के अधीन कुर्क की गई हो, सम्मिलित हैं ।

6. जमा देनदारी और आस्तियों का निर्धारण –

(1) सक्षम प्राधिकारी अपनी नियुक्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर वित्तीय स्थापना की आस्तियों और जमा देनदारी का निर्धारण करेगा और उसका विवरण अभिहित न्यायालय को भेज देगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात् प्रतिभूत लेनदारों से, यदि कोई हों और वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं से भी अपने दावे तथा दावा स्थापित करने के लिए उचित सबूतप्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत या प्रकाशन के प्रभावी प्रचार माध्यम से सूचना निर्गत करेगा ।

(3) उप धारा (2) के अधीन दावेदार को भेजी गई या भेजी गई समझी जाने वाली प्रत्येक सूचना में यह अभिकथित किया जायेगा कि दावे का विवरण सक्षम प्राधिकारी को यदि सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं भेजा गया तो इस अधिनियम के उपबंध के अधीन दावे का, भुगतान पाने के लिए हकदार दावा नहीं माना जायेगा ।

(4) प्रतिभूत लेनदार को भेजी गई प्रत्येक सूचना में उनसे, सूचना की तिथि से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिभूति का मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसी सूचना में यह भी अभिकथित किया जायेगा कि यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रतिभूति के मूल्यांकन के साथ–साथ दावे का विवरण नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभूति का मूल्यांकन करेंगे और उनका मूल्यांकन ऐसे प्रतिभूति लेनदार पर बाध्यकारी होगा ।

(5) दावेदार यदि सूचना के अनुपालन में असफल होता है तो उपधारा (4) के अनुसार ऐसी प्रतिभूति का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उनके सर्वोतम निर्णय के अनुसार, किया जायेगा ।

7. अभिहित न्यायालय –

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सहायक सत्र न्यायाधीश सह सिविल जज (सिनियर डिविजन) के न्यायालय को इस कार्य हेतु अभिहित न्यायालय घोषित कर सकेगी ।

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय,जिसमें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम 1909 एवं प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित हैं, को ऐसे किसी विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अवलंब लिये गये हों ।

(3) अन्य किसी न्यायालय में लम्बित ऐसा कोई मामला जिसपर इस अधिनियम के उपबंध लागू हों, इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा ।

8. अभिहित न्यायालय की कुर्की से संबंधित शक्तियाँ –

(1) धारा–5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित न्यायालय, वित्तीय स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति धारा–4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो, आवेदन की प्रति एवं शपथ–पत्र तथा साक्ष्य, यदि अभिलिखित हो, के साथ उक्त स्थापना एवं उक्त व्यक्ति को सूचना में, विनिर्दिष्ट तिथि को कारण बताने हेतु, बुलाने के लिए एक सूचना जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों नहीं आत्यंतिक कर दिया जाय ।

(2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी ऐसी सूचना जारी करेगा जिन्हें उपधारा (1) के अधीन जिन वित्तीय स्थापना या व्यक्ति को नोटिस जारी की गयी हो एवं उनकी सम्पत्ति में हित या हक रखने वाले या संभाव्य दावेदार के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो और ऐसे सभी व्यक्तियों को उसी तिथि को, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, उपस्थित होने के लिए एवं, यदि वे चाहे, सम्पत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की पर इस आधार पर आपत्ति करने के लिए कि ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में उनका हित है ।

(3) कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उस बात के होते हुए कि इस धारा के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गई है, अभिहित न्यायालय में उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय उपर्युक्त रूप में आपत्ति कर सकेगा ।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन कोई कारण नहीं दर्शाया गया या आपत्ति नहीं की गयी तो अभिहित न्यायालय तुरंत कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए एक आदेश पारित करेगा एवं कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी सम्पत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्त्ताओं के बीच साम्यपूर्ण वितरण हेतु, यथा आवश्यक, निदेश जारी करेगा ।

(5) यदि, उपर्युक्त, रूप में कारण दर्शाया गया या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्रवाई आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंध में एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन आदेश 37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा एवं उक्त संहिता के अधीन किसी वाद की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आपत्ति करने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जायेगी की कुर्की की तारीख को कुर्क की गयी सम्पत्ति में उनका कोई हित था ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय या तो धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को आत्यंतिक करते हुए या सम्पत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मुक्ति द्वारा बदलते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए एक आदेश पारित करेगा :

परन्तु अभिहित न्यायालय ऐसे किसी हित को तबतक कुर्की से विमुक्त नहीं करेगा जब तक यह समाधान नहीं हो गया हो कि उपधारा (1) में निर्देशित वित्तीय स्थापना या व्यक्ति का उस सम्पत्ति में हित है, जब तक यह भी समाधान न हो जाय कि कुर्की के अधीन बाकी बचने वाली राशि या सम्पत्ति का मूल्य वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा ।

(7) जहाँ आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, जिन्हें किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमित के अधीन ऐसी सरकार द्वारा कुर्क की गई धन या सम्पत्ति पर नियंत्रण हेतु उसे सशक्त करते हुए सम्यक–रूप से प्राधिकृत नियत या विनिर्दिष्ट किया गया हो, वहाँ अभिहित न्यायालय अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानों आवेदन इसी अधिनियम के अधीन दिया गया हो और ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निदेश पारित करेगा ।

9. आस्तियों की वसूली एवं जमाकर्त्ताओं को भुगतान से संबंधित अभिहित न्यायालय की शक्तियाँ–

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली करने के लिए अभिहित न्यायालय को सभी शक्तियाँ होंगी ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिहित न्यायालय–

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी को कोई भी निर्देश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा;

(ii) विभिन्न देनदारों से शोध्य वित्तीय स्थापना के शोध्य विवरणी को अनुमोदित, वित्तीय स्थापना के आस्तियों का मूल्य निर्धारण कर सकेगा और जमाकर्त्ताओं की सूची एवं उनके शोध्य को अन्तिम रूप दे सकेगा;

(iii) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय स्थापना की या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी आस्तियों को कब्जे में लेने का निदेश दे सकेगा और कुर्क की गई आस्तियों के विक्रय, अन्तरण या वसूली, या तो लोकनीलाम द्वारा या आस्तियों के स्वरूप के अनुसार निजी विक्रय द्वारा करने का जैसा वह ठीक समझे एवं बिक्री–आगम को, बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दे सकेगा;

(iv) वित्तीय स्थापना की आस्तियों को कब्जा में लेने एवं वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत किये जाने वाले आवश्यक व्यय को अनुमोदित कर सकेगा;

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमाकर्त्ताओं को भुगतान के लिए आदेश दे सकेगा या इस प्रकार वसूला गया धन सम्पूर्ण जमा दायित्वों की पूर्ति करने में अपर्याप्त होने की स्थिति में जमाकर्त्ताओं को आनुपातिक भुगतान करने का ओदश दे सकेगा; एवं

(vi) कम्पनी की आस्तियों की वसूली के लिए एवं वित्तीय स्थापना के जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए या इससे आनुषंगिक किसी भी विषय या विवाद्यक पर कोई भी आदेश, अभिहित न्यायालय, जो उचित समझे, पारित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'वित्तीय स्थापना' में उक्त स्थापना के निदेशक, संप्रवर्त्तक, प्रबंधक या सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिनकी अस्तियाँ या सम्पति धारा– 3 के अधीन कुर्क की गयी हों, सम्मिलित हैं ।

10. असद्भावी अन्तरिती की सम्पत्ति की कुर्की –

(1) जहाँ धारा–4 में निर्देशित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति की आस्तियाँ कुर्की के लिए उपलब्ध उस राशि या मूल्य से कम पायी जाएँ जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकत्ताओं को प्रतिसंदाय करना अपेक्षित हो और जहाँ शपथपत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित न्यायालय को यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय स्थापना सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल से अन्यथा किसी भी सम्पत्ति को अन्तरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, सूचना द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती से (चाहे उसने सम्पत्ति उक्त वित्तीय स्थापना से प्रत्यक्षतः प्राप्त की हो या नहीं)सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने

की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, को क्यों नहीं कुर्क कर लिया जाय ।

(2) जहाँ, उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थिति नहीं हो और कारण नहीं दर्शाये या जहाँ धारा–8 की उपधारा (5) में उपबंधित रीति से अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय को समाधान हो जाय कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्ण और पर्याप्त प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिति की उतनी सम्पत्ति की, जो अभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, कुर्की का आदेश पारित करेगा ।

11. कुर्की के बदले प्रतिभूति –

किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई हो या कुर्क किये जाने हेतु प्रस्तावित हो, किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा एवं जहाँ ऑफर की गई एवं दी गई प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में, संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो वह यथास्थिति, कुर्की आदेश को रद्द कर सकेगा या पारित करने से विरत हो सकेगा ।

12. कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रबन्ध –

अभिहित न्यायालय, कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त विचार करें :–

(1) ऐसी कुर्क की गई एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति से वह रकम, जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है, आवेदक एवं उनके परिवार के भरण पोषण एवं जहाँ अभिहित न्यायालय में धारा–3 के अधीन आवेदक के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संस्थित किया गया हो वहाँ उनके अपने बचाव से संबंधित व्यय के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, उपबंध करने हेतु ।

(2) जहाँ तक व्यवहार्य हो, कुर्की से प्रभावित किसी कारोबार के हितों की, विशिष्टतः ऐसे कारोबार के भागीदार के हितों की रक्षा करने हेतु ।

13. अपील –

(1) कुर्की से संबंधित एवं कुर्की के संबंध में अभिहित न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अंतिम आदेश पारित किये जाने के 60 दिनों के भीतर झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) अभिहित न्यायालय के विचारण में दोषसिद्ध व्यक्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

14. विशेष लोक अभियोजक एवं विशेष सरकारी अधिवक्ता –

सरकार, अभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को, जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक / विशेष सरकारी वकील के रूप में 7 वर्षों से कम का नहीं हो, सम्बद्ध जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी ।

15. अपराध के बारे में, अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ –

(1) अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों पर पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन कर या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा शिकायत किये जाने पर, अपराधी को विचारणार्थ उन्हें सुपुर्द किये गये बिना अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(2) अपराधी व्यक्ति का विचारण करते समय, अभिहित न्यायालय, वारंट मामलों के अपराधों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) अभिहित न्यायालय, अपने पास भेजे गये व्यक्ति के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–167 एवं 309 के अधीन, यथा उपबंधित, प्रतिप्रेषण (रिमांड) की शक्ति का प्रयोग करेगा ।

(4) अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचार करते समय, इस अधिनियम के अधीन अपराध से भिन्न, किसी अन्य अपराध, का भी विचारण कर सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में दोषारोपित किया गया हो ।

(5) (i) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं अजेनानतीय होगा ।

(ii) इस अधिनियम के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन जमानत के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के अधीन यथा उपबंधित उपबंध, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–438 के अधीन, यथा उपबंधित अग्रिम जमानत मंजूर करने के प्रावधान को छोड़कर लागू होगा ।

16. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव –

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात या रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा ।

17. सद्भावना से की गई कार्रवाई की संरक्षा –

इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए सरकार या सक्षम प्राधिकारी या सरकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी ।

18. नियम बनाने की शक्ति –

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनायी गई प्रत्येक नियमवाली बनाये जाने के पश्चात् यथाशीध्र, राज्य विधान सभा के समक्ष कुल तीस दिन की समयावधि के दौरान जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में समाविष्ट हो सकता है, रखी जायेगी एवं यदि जिस सत्र के दौरान इसे रखा गया है, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा ठीक पश्चात्वर्ती सत्र में राज्य विधान सभा नियमावली में किसी उपान्तरण के लिए सहमत हो जाय या नियमावली नहीं बनाए जाने के लिए सहमत हो जाय एवं उस प्रभाव के उसके निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाता है तो वह राजपत्र में ऐसे निर्णय के प्रकाशन की तिथि से यथा स्थिति, मात्र ऐसे उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी । किन्तु ऐसा उपान्तरण में वातिलीकरण का इस नियमावली के अधीन पूर्व में की गई या विलोपित की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

19. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति –

इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार ऐसी कठिनाई उत्पन्न होते ही, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, एवं कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कुछ भी कर सकेगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कुमार गुप्त,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 149––300+350 ।